सहकार किसान कल्याण योजना

क्र. सं.	वर्तमान प्रावधान
1	राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा किसानों की फसली ऋणों के अतिरिक्त कृषि साख आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केन्द्रीय सहकारी बैकों के स्तर पर उनकी शाखाओं एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण हेतु **''सहकार किसान कल्याण योजना ''** प्रचलित है
2	**पृष्ठ भूमिः–** आज का कृषक जिस क्षेत्र में मात्र 2 फसल होती है, मौसमी रूप से बेरोजगार रहता है तथा जोत कम होने की वजह से वे आर्थिक रूप से अल्प रोजगार (underemployment) रहते हैं यदि इन काश्तकारों/कृषकों की भूमि बंधक बनाकर रखकर उन्हें साख सीमा/टर्म ऋण के रूप में वित्तपोषण किया जावे तो वे अतिरिक्त संसाधन जुटाकर आत्मनिर्भर हो सकेंगे एवं वर्तमान में जो साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए है, से मुक्ति पा सकेंगे, जो कि सहकारी बैंकों का मुख्य ध्येय है। सहकारी साख संरचना का ग्रामीण काश्तकारों से जुड़ाव निरन्तर बनाये रखने के उद्धेश्य से **''सहकार किसान कल्याण योजना''** प्रारम्भ की जा रही है ताकि कृषकों को फसली ऋण के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं के लिए किसी अन्य वितीय संस्था से संपर्क न करना पड़े ।
3	**योजना का नामः–** इस योजना का नाम '' **सहकार किसान कल्याण योजना**'' होगा।
4	**उद्धेश्य** : • सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों की सभी कृषि सम्बन्धी ऋण आवश्यकताओं को सरलीकृत प्रक्रिया के द्वारा एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाया जाना। • कृषि में अतिरिक्त आय के साधन विकसित करना एवं पशुपालन व बागवानी को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त कृषि में आधुनिक साधनों के उपयोग को बढ़ावा देना। • अधिक आसान शर्तो, किफायती ब्याज दर एवं ऋण चुकारा करने की अवधि को और अधिक सुविधाजनक बनाना। • ***किसानों द्वारा उत्पादित कृषि जिंसो की मजबूरन बिक्री (Distress Sale) रोकना तथा उत्पादित कृषि जिंसों का उचित मूल्य उपलब्ध दिलवाना।***
5	**ऋण प्रयोजन :** • **कृषि यंत्रीकरण** – ट्रेक्टर, कल्टीवेटर, कृषि आदान व उत्पाद परिवहन वाहन, सीड ड्रिल खरीद व रिपेयर, थ्रेसर, कुट्टी मशीन, कृषि यंत्रों की खरीद व मरम्मत आदि कार्य। • **सिंचाई साधन** – पाईप लाईन, फव्वारा, लघु सिंचाई, निर्माण कार्य एवं मरम्मत, नाली मरम्मत व सुधार, पानी की खेली व पंप रिपेयर आदि कार्य। • **बागवान विकास** – बागवानी, बीज उत्पादन, मेंहदी उत्पादन, फलदार पौध, नर्सरी विकास, कृषि भूमि की फेसिंग, मुण्डेर का निर्माण/मरम्मत, विद्युत कनेक्शन, विद्युत लाईन मरम्मत, बिजली बिल भुगतान आदि कार्य • **डेयरी विकास** – दुधारू पशु खरीद, चिकित्सा, पशु बीमा, केटल शेड निर्माण, दुग्ध प्रसंस्करण यंत्र, चारा उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ऊंटगाडी– बैल गाडी खरीद/मरम्मत आदि कार्य।

	• चारा संग्रहण एवं भण्डारण • *कृषि उपज के विरूद्ध काश्तकार को रहन ऋण उपलब्ध करवाना (योजना के विस्तृत प्रावधान परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है, जो कि योजना का ही भाग है।* • *सौर ऊर्जा पम्प, ग्रीन हाउस, पोली हाउस, व्हाईट हाउस, ड्रिप सिंचाई संयंत्रों हेतु वित्त पोषण।* • *ऐसी कोई अन्य गतिविधि या प्रयोजन जो कृषि विकास में सहायक हो तथा जिससे कृषि से सम्बन्धित दीर्घकालीन आधारभूत संरचना और विकास होकर कृषक को अतिरिक्त रोजगार एवं आमदनी सृजित हो, योजना में वित्त पोषण हेतु मान्य किया जा सकता है।*
6	**पात्रता :** • सम्बन्धित जिले/केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्यक्षेत्र का निवासी हो। • सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्यक्षेत्र में स्वंय के स्वामित्व की भार रहित कृषि भूमि हो व ऋणी स्वंय इस भूमि पर स्वंय काश्त करते हो। • काश्तकार सहकारी समिति/सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक का सदस्य हो।
7	**ऋण सीमा :** • *केन्द्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा अधिकतम 10 लाख रूपये तक का ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा। वर्णित अधिकतम ऋण सीमा के अन्तर्गत टर्म ऋण के साथ–साथ अथवा केवल साख सीमा के रूप में अधिकतम रूपये 5 लाख 1 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जा सकेगे। साख सीमा का प्रति वर्ष खाते में लेन–देन के आधार पर नवीनीकरण किया जा सकेगा।* • पैक्स/लैम्पस के माध्यम से असिंचित भूमि होने की स्थिति में 50 हजार रू. तथा सिंचित भूमि होने की स्थिति में 1 लाख रू. तक का ऋण दिया जा सकेगा। असिंचित एवं सिंचित भूमि दोनों के मामले में वर्णित अधिकतम ऋण सीमा के अन्तर्गत टर्म ऋण के साथ–साथ अथवा केवल साख सीमा के रूप में अधिकतम रूपये 50 हजार 1 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किये जा सकेगे। साख सीमा का प्रति वर्ष खाते में लेन–देन के आधार पर नवीनीकरण किया जा सकेगा। परन्तु उपरोक्त ऋण सीमा प्रतिभुति के रूप में गिरवी रखी जाने वाली कृषि भूमि की डीएलसी दर का 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। • सदस्य के पक्ष में ऋण की अधिकतम सीमा का निर्धारण उपलब्ध भूमि एवं पुर्नभुगतान क्षमता के आधार पर होगा। • *कृषि उपज के विरूद्ध रहन रखकर उपलब्ध करवाई जाने वाली ऋण राशि उक्त निर्धारित सीमा के अलावा होगी।* • *सिंचाई साधन/कृषि यंत्रीकरण/कृषि विकास सम्बन्धी अन्य आवश्यकताओं हेतु कृषक की भूमि असिंचित होने की स्थिति में प्रति बीघा 50 हजार रूपये तथा सिंचित होने की स्थिति में प्रति बीघा 1.00 लाख रूपये तक का अधिकतम ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा एवं प्रोजेक्ट ऋणों के मामलें में प्रोजेक्ट लागत का 80 प्रतिशत ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।* • *प्रोजेक्ट ऋण का भुगतान तीन किश्तों में किया जावेगा एवं पूर्व में जारी किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भौतिक सत्यापन उपरान्त ही आगामी किश्त का भुगतान किया जा सकेगा।*

8	**ब्याज दर :** • *इस योजनान्तर्गत दिये जाने वाले साख सीमा/सावधि ऋण पर 11.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज वसूल किया जावेगा।* • *पैक्स/लैम्पस के माध्यम से ऋण वितरण की स्थिति में में पैक्स/लैम्पस द्वारा ऋणी सदस्य 11.00 प्रतिशत एवं सीसीबी द्वारा पैक्स से 9.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज वसूल कि जावेगा।*
9	**ऋण का चुकारा :** • योजनान्तर्गत साख आवश्यकताओं हेतु टर्म ऋण को चुकाने की अधिकतम अवधि 9 वर्ष होगी **एवं साख सीमा की स्थिति में प्रति वर्ष साख सीमा का नवीनीकरण कराना होगा।** • *साख सीमा खाते के नवीनीकरण हेतु ऋणी सदस्य द्वारा स्वीकृत लिमिट की राशि एवं ब्याज की राशि के समान राशि साख सीमा खाते में जमा कराना आवश्यक होगा।*
10	**ऋण की सुरक्षा :** • ऋण लेने हेतु किसान द्वारा अपनी भार रहित कृषि भूमि को बैंक के पक्ष में ऋण की सुरक्षा हेतु रहन रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त एक सक्षम व्यक्ति जो कि बैंक का नोमिनल सदस्य भी हो, की व्यक्तिगत जमानत प्राप्त की जायेगी। • ऋण से सृजित संपत्तियों के बीमा के साथ–साथ ऋणी को सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत जीवन बीमा तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत दुर्घटना बीमा करवाया जाना अनिवार्य होगा अर्थात् प्रीमियम का भार ऋणी द्वारा वहन किया जावेगा।
11	**दस्तावेज :** • आवेदक द्वारा साधारण कागज पर ऋण का प्रयोजना एवं आवश्यकता दर्शाते हुए फोटो युक्त ऋण आवेदन पत्र मय ऋण प्रयोजन का स्वघोषणा पत्र भूमि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, सदस्यता विवरण, जमानत नामा आदि के साथ आवेदन पत्र केन्द्रीय सहकारी बैंक/ग्राम सेवा सहकारी समिति में आवेदन किया जायेगा। नियमानुसार मांग वचन पत्र, समय बचन पत्र, ऋण अनुबंध, उपयोगिता पत्र, ऋण स्वीकृति पत्र, **अविरल पत्र (साख सीमा हेतु)** इत्यादि प्रस्तुत करने होगे। • *प्रोजेक्ट ऋण की स्थिति में आवेदक द्वारा आवश्यक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसका बैंक द्वारा प्रोजेक्ट लागत/आय–व्यय का मूल्यांकन करते हुए ऋण स्वीकृत किया जावेगा।*
12	**अन्य :** • योजना हेतु परिचालनात्मक मार्ग निर्देश/अन्य बिन्दुओं पर मार्गदर्शन अपेक्स बैंक द्वारा पूर्व में समान उद्देश्यों हेतु प्रचलित किसान सम्बल योजना व नाबार्ड/ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देश आदि को ध्यान में रखते हुए प्रदान किये जा सकेगे। • *स्वीकृत/नवीनीकृत ऋण/साख सीमा पर संचालक मण्डल के निर्णयानुसार बैंक द्वारा सर्विस चार्ज वसूल किया जा सकेगा।*

परिशिष्ठ–1

सहकार किसान कल्याण योजनान्तर्गत कृषि उपज के विरूद्ध काश्तकार को रहन ऋण उपलब्ध करवाने की योजना

पृष्ठभूमि–

सामान्यतया फसल कटने के समय कृषि उपज के बाजार भाव कम होते हैं। काश्तकार को अपनी घरेलू/निजी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संस्थागत ऋणों का चुकारा करने के लिए अपनी कृषि उपज को बाजार में मजबूरन कम मूल्य पर बेचना पडता है या बिचौलियों को अपनी फसल को रहन कर उंची ब्याज दर पर फण्डस की व्यवस्था करनी पड़ती है, फलस्वरूप काश्तकार को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता एवं उसकी स्थिति दयनीय बनी रहती है। काश्तकारों को उसकी उपज का सही मूल्य मिल सके एवं डिस्ट्रेस सेल एवं साहूकारों/बिचौलियों के चुंगल से मुक्त हो सके, को ध्यान में रखते हुए यह योजना प्रारंभ की जा रही है।

उद्देश्य–

- किसानों को कृषि उपज के वाजिब दाम उपलब्ध करवाना।
- किसानों को कृषि जिन्सों की मजबूरन बिक्री (Distress sale) बचाना।
- कृषि उपज पर ऋण देकर किसानों की तात्कालिक वित्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- सहकारी समितियों के स्तर पर फसली ऋण की अच्छी वसूली सुनिश्चित करना।
- पैक्स/लैम्प्स के ऋण व्यवसाय में बढोतरी लाकर उन्हें वित्तीय रूप से सक्षम बनाना।
- पैक्स/लैम्प्स के पास उपलब्ध गोदामों की भण्डार क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करना।

समिति की पात्रता–

ऐसी पैक्स/लैम्प्स जो कि 'अ' एवं 'ब' श्रेणी में वर्गीकृत हो तथा जिनका नियमित ऑडिट हुआ हो, लाभार्जन स्थिति में, संचित हानि नहीं है, एनपीए स्तर 10 प्रतिशत से अधिक न हो, सरप्लस रिर्सोसेज उपलब्ध हो, पूर्णकालीन व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापक कार्यरत है एवं जिनके विरूद्ध गबन एवं दुरूपयोग का मामला विचाराधीन नहीं है, योजनान्तर्गत ऋण वितरण के पात्र होगी।

ऋणी की पात्रता–

योजनान्तर्गत ऐसे काश्तकार जो पैक्स/लैम्प्स के सदस्य हो चाहे वे ऋणी सदस्य हो या अऋणी सदस्य हो तथा स्थानीय वित्तदात्री संस्थाओं से प्राप्त ऋणों का समय पर चुकारा करते रहे हो, योजनान्तर्गत अपनी कृषि उपज को रहन कर ऋण लेने के पात्र होंगे। इसके अलावा द्वितीय वरीयता में ऐसे काश्तकार जो सहकारी साख संस्थाओं से जुड़े हुए नहीं हो, उन्हें भी योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है बशर्ते कि वह संबंधित पैक्स/लैम्पस की सदस्यता ग्रहण करे। ऐसे काश्तकार जिन्होंने किसी भी बैंकिंग सेक्टर से फसली ऋण प्राप्त नहीं किया है, योजनान्तर्गत ऋण प्राप्ति के अपात्र होंगे।

ऋण प्रक्रिया–

योजनान्तर्गत पैक्स/लैम्प्स काश्तकारों को प्रत्यक्षतः कृषि जिन्सों को रहन रखकर ऋण उपलब्ध करवा सकती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत काश्तकार अपनी फसल जिन्स को पैक्स/लैम्प्स को सुपुर्द कर उसके विरूद्ध ऋण राशि प्राप्त कर सकता है। पैक्स/लैम्प्स के पास पर्याप्त संग्रहण क्षमता के अभाव में काश्तकार अपनी कृषि जिन्स को पास के राज्य/केन्द्रीय वेयर

हाउसिंग कोरपोरेशन/निजी भण्डार गृहों जिनमें माल के संग्रहण/रख रखाव की पर्याप्त व्यवस्था हो, माल संग्रहण के संबंध में निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करते हो तथा संग्रहित माल के सुरक्षा एवं संरक्षा की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करते हो, में संग्रहण कर उनसे प्राप्त वेयर हाउसिंग रसीद को पैक्स/लैम्प्स के पक्ष में असाईन/पृष्ठांकित कर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋणी को योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान जरिये चैक द्वारा किया जायेगा।

स्टॉक मूल्यांकन–

योजनान्तर्गत रहन की जाने वाली कृषि जिन्सों का मूल्यांकन जिन्स के समर्थन मूल्य या बाजार भाव दोनों में से जो भी कम हो, के आधार पर किया जावेगा। यदि किसी अवस्था में भाव कम हो जाता है तो उसी अनुपात में रहन रखे माल की कमी को तत्काल उधारकर्ता से पूरा करवाया जावेगा।

ऋण सीमा–

योजनान्तर्गत ऐसे सभी पात्र कृषक/सदस्य जो कि उपरोक्तानुसार ऋण प्राप्ति की पात्रता रखते हों, को उनके द्वारा रहन की गई कृषि जिन्स की उपरोक्तानुसार मूल्यांकित की गई राशि का 70 प्रतिशत की सीमा तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा सकेगा। लघु एवं सीमान्त कृषक ऋणी सदस्य की स्थिति में अधिकतम ऋण सीमा रूपये 1.50 लाख एवं अन्य/बड़े कृषक ऋणी सदस्यों की स्थिति में अधिकम ऋण सीमा रूपये 3.00 लाख होगी। इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध करवायी जाने वाली ऋण राशि योजनान्तर्गत पैक्स/लैम्पस के लिए क्लॅाज 7 में निर्दिष्ट सीमा के अलावा होगी।

ऋण सुरक्षा–

योजनान्तर्गत उपलब्ध करवायी गयी ऋण राशि वेयर हाउसिंग रसीदों के विरूद्ध सुरक्षित रहेगी। इस हेतु ऋणी को वेयर हाउसिंग रसीद को पैक्स/लैम्प्स के पक्ष में अपने हस्ताक्षरों से असाईन/पृष्ठांकित कर मूल में पैक्स/लैम्प्स को सुपुर्द करनी होगी। पैक्स/लेम्प्स के स्वयं के गोदामों में संग्रहण करने की स्थिति में संग्रहण हेतु लिये गये माल की एवज में पैक्स/लेम्प्स मैनेजर अपने हस्ताक्षरयुक्त सभी वांछित विगत निरूपित करते हुए रसीद जारी कर उस पर लियन मार्क कर मूल में अपने पास रखेगा।

ब्याज दर–

योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाई जाने वाली राशि पर कृषक से 11 प्रतिशत के स्थान पर मात्र 3 प्रतिशत ब्याज ही लिया जावेगा।

ऋण अवधि–

योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाई गई राशि का चुकारा 90 दिवस की अवधि में उधारकर्ता को करना होगा। किसी विशेष परिस्थिति में यह अवधि गुणात्मक पहलू को ध्यान में रखकर बढ़ाई जा सकती है परंतु किसी भी अवस्था में यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। नाशवान/शीघ्र नाशवान प्रकृति की जिन्सों के संदर्भ में अवधि कम निर्धारित करनी होगी। निर्धारित ऋण की अवधि समाप्त होने पर संबंधित ऋण अवधिपार माना जायेगा एवं उस पर सामान्य ब्याज दर के अलावा 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त दण्डनीय ब्याज वसूल किया जायेगा। ऋण का समय पर चुकारा न करने वाले काश्तकार 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

शेयर लिकिंग–

ऋणी को ऋण राशि का 2.5 प्रतिशत की दर से समिति को शेयर पूंजी में अभिदान करना होगा जो कि ऋण चुकाने पर समायोजन योग्य रहेगी।

दस्तावेजीकरण

ऋणी से वांछित दस्तावेजीकरण पूर्ण करवाया जाना अपेक्षित है। वेयर हाउसिंग रसीद पर लियन/पृष्ठांकन असाईनमेंट जैसी भी परिस्थिति हो, करवाना अपेक्षित है। इसके अलावा निम्न दस्तावेज/अण्डरटेकिंग प्राप्त की जानी आवश्यक है–

1- डिमाण्ड प्रोमेजरी नोट 2. अविरल पत्र 3. एग्रीमेंट डीड 4. रहननामा

5- लेटर ऑफ लियन एवं सेट ऑफ पत्र 6. निर्धारित अवधि तक ऋण न चुका पाने पर रहन माल को बेचने की सहमति।

पुनर्भरण–

जिन पैक्स/लैम्प्स के पास स्वयं के संसाधन है, वे अपने संसाधनों से योजनान्तर्गत ऋण वितरण कर सकती हैं। आवश्यकता होने पर पैक्स/लैम्प्स द्वारा वितरित ऋणों के अंतर्गत अनावधिपार ऋण बकाया राशि का शत प्रतिशत पुनर्भरण संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक को निर्धारित पत्रादि प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है।

अन्य बिन्दु–

(i) ऋण की अवधि समाप्त होने के पश्चात् पैक्स/लैम्प्स संबंधित ऋणी को सूचना देकर 15 दिवस के भीतर ऋण का वापसी भुगतान करने हेतु नोटिस देना होगा। नोटिस की तिथि तक ऋण का चुकारा न होने पर पैक्स/लैम्प्स नजदीकी कृषि मण्डी समिति में रहन किये गये कृषि उपज का बिक्री करने को स्वतंत्र होगी। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का उज्र दावा ऋणी का स्वीकार नहीं किया जायेगा जिसकी सहमति वक्त ऋण अग्रिम ऋणी से पूर्व में ही समिति स्तर पर प्राप्त कर ली जावे। बिक्री राशि में कमी होने पर समिति अतिरिक्त राशि ऋणी से वसूल करने की अधिकारी होगी एवं बिक्री आधिक्य को ऋणी को लौटाने के प्रति दायी होगी।

(ii) राज्य/केन्द्रीय भण्डारगृहों/निजी भण्डार गृहों की रसीदों के विरूद्ध ऋण अग्रिम के संबंध में पैक्स/लैम्प्स को संबंधित वेयर हाउस को यह सूचित करना होगा कि उक्त रसीद पर पैक्स/लैम्प्स का भार है। फलतः ऐसी रसीदों पर लेन–देन करने से पूर्व या डुप्लीकेट रसीद जारी करने से पूर्व उन्हें सूचना रहे।

(iii) वेयर हाउस रसीदों को समिति के पक्ष में पृष्ठांकित करवाया जावे तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि प्राप्त वेयर हाउसिंग रसीदें वैध हस्ताक्षरों से जारी की गई हो। साथ ही वेयर हाउसिंग रसीद पर अंकित शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर ही अग्रिम किया जावे।

(iv) ऋण का चुकारा होने पर संबंधित वेयर हाउस को सूचित करना होगा ताकि वेयर हाउस अपने रिकार्ड में लियन के संबंध मे क्लॉज दुरूस्त कर सके।

(v) अन्य संस्थाओं द्वारा जारी वेयर हाउसिंग रसीदों के विरूद्ध ऋण अग्रिम के संबंध में संग्रहित माल का पैक्स/लैम्प्स व्यवस्थापक द्वारा सामयिक भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक होगा।

(vi) केन्द्रीय सहकारी बैंक समिति स्तर पर वितरित ऐसे ऋणों के विरूद्ध रखे गये कृषि जिन्सों के भौतिक स्टॉक का नियमित तौर पर सत्यापन सुनिश्चित करेगी। पैक्स स्तर पर संग्रहित

किये गये स्टॉक के संबंध में चोरी, आग, सेंधमारी आदि रिस्कों के विरूद्ध बीमा करवाया जाना भी अपेक्षित है।

(vii) समिति स्तर पर भण्डारण करने में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। कृषि जिन्स पूर्णतः साफ एवं सोर्टेट एवं कचरा रहित हो। संग्रहित किया जाने वाला स्टॉक नमी रहित हो, गुणवत्तापूर्ण हो एवं सुगम बिक्री योग्य हो। स्टैण्डर्ड नोर्मस जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिन्स खरीदने पर अपनाये जाते हैं, उनकी पालना के साथ ही अन्य युक्तियुक्त सतर्कतओं की पालना सुनिश्चित की जाकर संग्रहण कार्य सुनिश्चित करना होगा। संग्रहण व्यवस्थित ढंग से काश्तकारवार टेगिंग एवं मार्का सहित धांगवार लगाई जावे। फर्टिलाईजर सीड्स/पेस्टीसाईडस से दूर माल का संग्रहण किया जावे तथा संग्रहण स्थल में प्रोपर वेन्टीलेशन, नमी रहित एवं चूहे एवं जानवरों से पूर्णतया सुरक्षित होना अपेक्षित है। पैक्स/लेम्प्स के गोदाम में माल संग्रहण करने पर गोदाम किराया पैक्स/लेम्प्स के निर्णय अनुसार अलग से ऋणी से वसूल किया जायेगा।

(viii) पैक्स स्तर पर संग्रहित माल के संदर्भ में माल के रख रखाव एवं उसकी गुणवत्ता बनाये रखने के संबंध में सभी आवश्यक उपाय वांछनीय है जिसमें समय–समय पर फ्यूमिनिगेशन, मोश्चराईजेशन संबंधी कार्यवाही अपेक्षित है ताकि संग्रहित माल की क्वालिटी में किसी प्रकार की गिरावट न आ सके।

(ix) किसी काश्तकार द्वारा अगर स्थानीय वित्तदात्री संस्थाओं से फसली उत्पादन ऋण लिया हुआ है तथा बकाया चल रहा है तो योजनान्तर्गत रिलीज की जाने वाली ऋण राशि में से उक्त बकाया को काटकर संबंधित संस्था को भिजवाने की जिम्मेदारी संबंधित पैक्स/लैम्प्स की होगी।

(x) पैक्स/लैम्प्स द्वारा योजनान्तर्गत उपलब्ध करवायी गयी ऋण सुविधा की मासिक आधार पर सूचना संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा को प्रस्तुत करेगी जिसमें ऋणी के ब्यौरे के साथ रखे गये स्टॉक की विगत तथा उपलब्ध करवाई गई राशि की सूचना भी शामिल होगी। संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक को उक्त रहन रखे गये स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने की स्वतंत्रता होगी।

(xi) योजना प्रावधानों को अंगीकार करने के लिए पैक्स/लेम्प्स के संचालक मण्डल/कार्यकारिणी से अनुमोदन उपरान्त ही योजनान्तर्गत ऋण वितरण प्रारंभ किया जा सकेगा।

(xii) पैक्स/लैम्प्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनान्तर्गत ऋण सुविधा केवल पात्र ऋणियों को उनकी वास्तविक ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही प्रदत्त की जाये। अनावश्यक स्टॉकिंग/होल्डिंग/जमाखोरी प्रयोजनों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं हो सके, का विशेष ध्यान रखा जावे।

***